न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान कालूराम बनाम कानाराम

संख्या / वर्ष टी0आई0 34 / 2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/1/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता प्रहलाद चौधरी व अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गुप्ता हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि विवादित आराजी ग्राम कालवाड़ पटवार हल्का कालवाड़, तहसील कालवाड़ जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 109 रकबा 0.4426 है0, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0632 है0, एवं खसरा नम्बर 130/1 रकबा 0.2529 है0, में अप्रार्थी का हिस्सा 1/4, खसरा नम्बर 1221/119 रकबा 1.2647 है0 में हिस्सा 2/3, खसरा नम्बर 115/2 रकबा 0.1518 है0, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.5311 है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 1.0117 है0 एवं खसरा नम्बर 122/5 रकबा 0.8347 है0 सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 जो प्रार्थी के पिता है, के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी व अन्य तीन पुत्रों में मनबट के आधार पर बांट दी थी, जिस पर चारों पुत्रों के नाम काबिज काश्त थे परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल कर, अन्य तीनों पुत्रों में बांट कर बेचने पर आमदा है। उक्त वर्णित भूमि अप्रार्थी 01 की पैतृक भूमि है, जो उसे विरासत से प्राप्त हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थी के अन्य भाई वादग्रस्त भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहे है। पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थी का उक्त भूमि में जन्म से ही हिस्सा निहीत है। इसलिए अपने हिस्से की भूमि की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 व इनके वारिसान् को इस कदर पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजी में बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, निर्माण नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने तथा प्रार्थी का हिस्से की भूमि का अलग से खाता दर्ज रिकॉर्ड कर अलग खाता कायम करने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया, परन्तु बहस हेतु अनुपस्थित रहने पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

30/11/25

गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की दौराने बहस जाहिर तथ्यों, पत्रावली मय रिकार्ड के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि मामला पैतृक भूमि से संबंधित है जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हक निहीत है। यदि अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान, हस्तानान्तरण किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः विवादित आराजी ग्राम कालवाड़ पटवार हल्का कालवाड़, तहसील कालवाड़ जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 109 रकबा 0.4426 है0, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0632 है0, एवं खसरा नम्बर 130/1 रकबा 0.2529 है0, में अप्रार्थी का हिस्सा 1/4, खसरा नम्बर 1221/119 रकबा 1.2647 है0 में हिस्सा 2/3, खसरा नम्बर 115/2 रकबा 0.1518 है0, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.5311 है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 1.0117 है0 एवं खसरा नम्बर 122/5 रकबा 0.8347 है0 में अप्रार्थी संख्या 1 को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से से अधिक भूमि को किसी भी तरह से Alienate (पृथक) ना करे एवं ना ही हस्तानान्तरित करे।

निर्णय आज दिनांक 30/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)